रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 832] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2005/श्रावण 19, 1927
No. 832] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2005/SRAVANA 19, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2005

(आय-कर)

का.आ. 1114(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (15) के उप-खण्ड (i) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारतीय स्टेट बैंक जो कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 3 के अन्तर्गत गठित है, के द्वारा जारी वचन पत्र के रूप में, इंडिया मिलेनियम निक्षेपों जो कि बैंक लिखत होने के नाते विदेशी मुद्रा के रूप में अंकित निक्षेपों को निरूपित करते हैं, को उक्त उप-खण्ड के प्रयोजनार्थ निक्षेपों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना संख्या 188/2005/फा. सं. 178/43/2005-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2005

(Income-Tax)

S.O. 1114(E).—In exercise of powers confered by the sub-clause (i) of clause (15) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the India Millennium Deposits, being bank instruments representing foreign currency denominated deposits in the form of promissory notes, issued by the State Bank of India, a bank constituted under Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), as deposits for the purposes of the said sub-clause.

[Notification No. 188/2005/F. No. 178/43/2005-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

2383 GI/2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.